



5.23

बाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नाटिस जारी किये जायें। पत्रावली दिनांक 9.6.23 को पेश हो।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर माण्डल

13.6.23

पत्रावली मछाई राहत कैंप एवं प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत घोड़ास में पेश हुई। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शाह पठकिये गये। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुभार होकर नम्बर से कम हो।

  
हुक्मीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 73/23 प्रा0पत्र

1- श्री शतगाड/श्री डदा वैरवा जिनारजी-गोणपुरा तहसील माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री गारधण/श्री कगोड वैरवा जिनारजी-गोणपुरा तहसील माण्डल (तौगा)  
(प्रहसक्ति प्रा0पत्र माण्डल)

-विपक्षीयग

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 12.06.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गोणपुरा पटवार हल्का रहूका तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 55 कुल कित 01 रकबा 0.5564 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयग के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा बिन्दु नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगटी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 29.05.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगटी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गोणपुरा पटवार हल्का रहूका तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 55 कुल कित 01 रकबा 0.5564 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगटी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगटी किये जाने हेतु नू-अनिलेख निरीक्षक पीधाम को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की सथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगटी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगटी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगटी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023